राजस्थान सरकार
वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग

क्रमांकः एफ.5(थ–75)DTA/IFMS/PD Electronic/ 5163–5412 दिनांक 25/07/2018

परिपत्र

विषयः– पी.डी. खातों के माध्यम से संवेतन, लाभार्थियों तथा तृतीय पक्षकार को पी.डी. पेमेन्ट एडवाइस के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान के संबंध में संचालन प्रक्रिया।

संदर्भः– वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के परिपत्र क्रमांक 14633–15132 दिनांक 11.10.2017 एवं वित्त (मार्गोपाय) विभाग के आदेश क्रमांक प.15(5)वि.मा./2012 दिनांक 02.07.2018

राजकीय विभागों, स्थानीय निकायों, स्वायतशासी संस्थाओं और राजकीय कम्पनियों के पी.डी. खातों में राशि जमा, नित्य उपयोग के लिए अपेक्षित निधियां कोष/उपकोष में पी.डी. खातों में रखने, भारत सरकार की योजनाओं के दिशा–निर्देशों में अनिवार्यता/वैधानिक आवश्यकता होने पर राशि का विनियोजन/जमा, वित्त विभाग द्वारा अनुमत बैंक खाते में किए जाने तथा वाणिज्यिक/ग्रामीण/सहकारी बैंकों में इस प्रयोजनार्थ खाता खोलने की प्रक्रिया/दिशा–निर्देश वित्त (मार्गोपाय) विभाग के आदेश संख्या प.15(5)वि.मा./2012 दिनांक 02.07.2018 जारी किए गए है, जिसके अनुसार कार्यवाही पी.डी. खाता/निक्षेप खाता धारक विभाग, स्थानीय निकाय, स्वायतशासी संस्थाओं, राजकीय कम्पनियों तथा विश्वविद्यालयों द्वारा की जानी अनिवार्य है।

निजी निक्षेप/निक्षेप खातों के माध्यम से संवेतन, लाभार्थी तथा तृतीय पक्षकार को पी.डी. पेमेन्ट एडवाईस से ऑनलाइन भुगतान के संबंध में इस विभाग द्वारा परिपत्रों संख्या 8752–9202 दिनांक 30.09.2016, 1350–1590 दिनांक 21.04.2017, 10156–10556 दिनांक 11.08.2017 एवं 14633–15132 दिनांक 11.10.2017 जारी किये गये है। इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी उक्त परिपत्रों की निरन्तरता में निर्धारित निर्देशों/प्रक्रियाओं के साथ–साथ पी.डी. खाता धारक विभाग, संस्था, निकायों एवं राजकीय उपक्रमों द्वारा निक्षेप/पी.डी. खातों से इलेक्ट्रोनिक भुगतान की प्रक्रिया के संबंध में वित्त (मार्गोपाय) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.15(5)वि.मा./ 2012 दिनांक 02.07.2018 में दिए गए विस्तृत निर्देशों की पालना करने हेतु पी.डी./निक्षेप खातों से इलेक्ट्रोनिक भुगतान हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेगें :–

1. यदि विभाग द्वारा वित्त विभाग की पूर्वनुमति के बिना बैंक खाता खोला गया है तथा उसका संचालन किया जाना आवश्यक हो तो उसकी वैधानिक आवश्यकता/अनिवार्यता के संबंध में औचित्यपूर्ण प्रस्ताव वित्त (मार्गोपाय) विभाग को प्रेषित किए जाकर कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जावें, अन्यथा उन खातों को तत्काल बन्द किए जावें।

www.rajteachers.com

वर्तमान में पी.डी. खातों व कोषालय बिलों से एक मुश्त हस्तांतरित की जा रही राशियों से सम्बद्ध बैंक खातों की वित्त (मार्गोपाय) विभाग की स्वीकृतियों की प्रतियाँ कोष/उपकोष को उपलब्ध करवाया जाना अनिवार्य होगा। इस हेतु भुगतान एडवाइस जनरेट करने से पूर्व ही सिस्टम (पे–मैनेजर) पर बैंक खातों का रजिस्ट्रेशन कर स्केन्ड/सत्यापित कॉपी ऑनलाइन फोरवर्ड किया जाना आवश्यक होगा।

2. पी.डी. खातों के माध्यम से केन्द्रीय/केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाऐं जो वर्तमान में पी.एफ.एम.एस.पोर्टल पर संचालित की जा रही है उनमें कोष/उपकोष द्वारा पी.डी. खाते से भुगतान पी.एफ.एम.एस. से मैप्ड बैंक खाते/बैंक खाते जो वित्त (मार्गोपाय) विभाग से अनुमत है, में किया जा सकता है। इस हेतु संबंधित पी.डी. खाता धारक विभाग/ संस्थाओं/ स्वायतशाषी संस्थाओं/स्थानीय निकायों को सम्बद्ध कोष/उपकोष को सूचना उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा। पी.डी. खाता धारक विभाग/संस्थाओं/ स्वायतशाषी संस्थाओं/स्थानीय निकायों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पी.एफ.एम.एस. पर उनके द्वारा संचालित योजना का सम्पूर्ण डेटा आई.एफ.एम.एस. से इन्टीग्रेशन पर उपलब्ध हो। इन योजनाओं में भामाशाह एक्ट, 2017 (The Rajasthan Bhamashah (Direct Transfer of Public Welfare Benefits and Delivery of Services) Act, 2017) की पालना किया जाना भी विभाग के स्तर पर सुनिश्चित किया जायेगा।

www.rajteachers.com

(मंजू राजपाल)
शासन सचिव वित्त (बजट)

5163–5412
25/07/2018

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय राज्यपाल/माननीया मुख्यमंत्री/समस्त मंत्री/राज्य मंत्री
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एंव संचार विभाग, जयपुर
4. मुख्य लेखा नियत्रंक, भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय, प्रधान लेखा कार्यालय सेवा भवन, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली
5. प्रधान महालेखाकार,लेखा एवं हक/सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा/आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा, राजस्थान जयपुर
6. निजी सचिव, समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
7. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर
8. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान, अजमेर
9. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
10. समस्त विभागाध्यक्ष
11. संभागीय आयुक्त जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर
12. समस्त जिला कलक्टर्स
13. राज्य नोडल अधिकारी, पी.एफ.एम.एस., मुख्य लेखा नियंत्रक, ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली
14. सहायक राज्य नोडल अधिकारी पी.एफ.एम.एस., आयकर भवन, जयपुर
15. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर
16. निदेशक, कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर को उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
17. निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर
18. निदेशक वित्त (बजट) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर
19. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय, जयपुर
20. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (जी.एण्ड.टी. एवं समन्वय) विभाग, सचिवालय, जयपुर
21. उपशासन सचिव, वित्त (मार्गोपाय) विभाग, सचिवालय, जयपुर
22. समस्त कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी को उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
23. प्रभारी अधिकारी (भामाशाह), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर
24. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित
25. प्रभारी भामाशाह, तकनीकी टीम, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर को प्रेषित कर उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
26. श्री मनोज नागर, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एन.आई.सी. सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार सिस्टम में कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें तथा सभी सम्बद्ध कार्यालयों को तकनीकी सहायता व मार्गदर्शन प्रदान करें।
27. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. पेंशन विभाग, जयपुर
28. श्री आई.डी. वरियानी एवं श्री ललित गोयल तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. वित्त भवन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार सिस्टम में कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें तथा सभी सम्बद्ध कार्यालयों को तकनीकी सहायता व मार्गदर्शन प्रदान करें।
29. तकनीकी निदेशक (आई.टी.) वित्त विभाग, सचिवालय जयपुर को वित्त विभाग की साईट पर अपलोड करने हेतु।

www.rajteachers.com

संयुक्त शासन सचिव